

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर,दिनांक: 01 JAN 2021

—:परिपत्र:—

**विषय:—समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।**

**राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है।**

सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावे:—

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी 2021 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।
2. जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
3. जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अपना वर्ष 2020 का अचल सम्पत्ति विवरण ऑन-लाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2021 का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2021 तक ऑन-लाईन भरने पर उनको वर्ष 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावे।
4. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।


अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा अधीनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारियों द्वारा समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नहीं भरेगें तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।

  
(हिमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव ।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।

  
संयुक्त शासन सचिव